

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022

दिनांक 01/03/2026

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर
अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

कृपया पत्र संख्या:41/छ:-पु-3/2020,दिनांक:04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में दिनांक 28.02.2026 की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. साइबर सेल जनपद गाजीपुर के प्रयास से शिकायतकर्ता अनुपम तिवारी पुत्र संजय तिवारी के साथ यूपीआई द्वारा फ्राड की गयी 58,000/- रुपये की धनराशि वापस कराई गई।

जनपद गाजीपुर पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं साइबर धोखाधड़ी रोकने हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत आवेदक अनुपम तिवारी पुत्र संजय तिवारी ग्राम- नोनहरा थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर के साथ यूपीआई के द्वारा फ्राड किया गया तथा उनके द्वारा तत्काल NCRP पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई गई । सूचना प्राप्त होते ही तत्काल साइबर सेल जनपद गाजीपुर द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए साइबर सेल प्रभारी श्री विवेक तिवारी मय टीम द्वारा दिनांक 28.02.2026 को आवेदक के 58,000/- रू0 की धनराशि वापस करायी गयी।

02. थाना भुडकुड़ा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 148/2025 धारा 65(1),87,137(2) बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 28.02.2026 को प्रभारी निरीक्षक थाना भुडकुड़ा मय हमराह द्वार मुखबिर खास की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 148/2025 धारा 65(1),87,137(2) बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सवरू उर्फ रोहन पुत्र लल्लन बासफोर निवासी ग्राम भवरुपुर थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर को उत्तरी क्रॉसिंग से चौजा को जाने वाली सड़क के पास से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1.सवरू उर्फ रोहन पुत्र लल्लन बासफोर निवासी ग्राम भवरूपुर थाना बहरियाबाद जिला गाजीपुर उम्र करीब 21 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 148/2025 धारा 137(2) बीएनएस व बढ़ोतरी धारा 65(1),87 बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना भुड़कुड़ा जनपद गाजीपुर ।

03. थाना बरेसर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 43/26 धारा 64(1),115(2),331(4),352,351(3) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 28.02.2026 को थानाध्यक्ष बरेसर मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 43/26 धारा 64(1),115(2),331(4),352,351(3) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र अमरनाथ राम निवासी ग्राम खारा थाना बरेसर जनपद गाजीपुर खारा गेट से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:

1.सुनील कुमार पुत्र अमरनाथ राम निवासी ग्राम खारा थाना बरेसर जनपद गाजीपुर ।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 43/26 धारा 64(1),115(2),331(4),352,351(3) बीएनएस थाना बरेसर जनपद गाजीपुर ।

04. थाना बरेसर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 44/26 धारा 109(1) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित 01 नफर बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 28.02.2026 को उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा मय हमराह द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 44/26 धारा 109(1) बीएनएस से संबंधित वांछित बाल अपचारी को दहेन्दू अण्डरपास से पुलिस अभिरक्षा में लिया गया । उक्त बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 44/26 धारा 109(1) बीएनएस थाना बरेसर जनपद गाजीपुर

05. थाना नन्दगंज पुलिस द्वारा कस्बा नन्दगंज में महिलाओं का झपट्टा मारकर उनके मंगलसूत्र का लॉकेट एवं मोती छीनने वाला बदमाश पुलिस मुठभेड में घायल / गिरफ्तार । जिसके कब्जे से 02 मंगलसूत्र का लॉकेट पीली धातु व 04 अदद मोती पीली धातु, एक अदद मोटर साईकिल अपाचे 160 व एक अदद नाजायज तमन्चा .315 बोर, एक अदद खोखा कारतूस .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत दिनांक:- 27/28.02.2026 मध्यरात्रि को थानाध्यक्ष नन्दगंज मय पुलिस बल द्वारा रामपुर बन्तरा कट पर संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग किया जा रहा था कि जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि कस्बा नन्दगंज से दिनांक- 01 फरवरी 2026 एवं 10 फरवरी 2026 को महिलाओं का झपट्टा मारकर उनके मंगलसूत्र छीनने वाला बदमाश उन आभूषणों को बेचने के लिए

कहीं जा रहा है, यदि जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास कर पुलिस बल द्वारा मुखबिर खास के बताये स्थान बरहपुर रेलवे क्रासिंग के बगल से जाने वाले रास्ते पर पहुँचकर अभियुक्त को पकड़ने का प्रयास किया गया तो बदमाश पुलिस बल को सामने देखकर पीछे मुड़कर भागना चाहा कि फिसलकर गिर गया तथा अपनेआप को घिरा देखकर बदमाश द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई जिसके जवाब में पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ संतुलित जवाबी फायरिंग की गई तो बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी है और वह घायल हो गया है। जिसे तत्काल प्राथमिक उपचार हेतु जिला अस्पताल गाजीपुर भेजा गया व आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है:-

घायल / गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सर्वजीत यादव पुत्र हरिनारायन यादव निवासी ग्राम सिलौटा थाना धीना जनपद चन्दौली उम्र करीब 26 वर्ष
अभियुक्त का अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0- 224/2020 धारा 401 भा0द0वि0 थाना जमानियाँ जनपद गाजीपुर
2. मु0अ0सं0- 36/2026 धारा 304(2), 317(2) बी0एन0एस0 थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर
3. मु0अ0सं0- 53/2026 धारा 304(2), 317(2) बी0एन0एस0 थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर
4. मु0अ0सं0- 69 /2026 धारा 109(1) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर

अभियुक्त के कब्जे से बरामदगी -

1. दो मंगलसूत्र का लॉकेट पीली धातु व चार अदद मोती पीली धातु
2. घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटर साईकिल अपाचे आर0टी0आर0 160 रजिस्ट्रेशन नं0 UP67Y1116
3. एक अदद नाजायज तमन्चा .315 बोर
4. एक अदद खोखा कारतूस .315 बोर
5. एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर